

फर्द अहकाम
श्रीकलाख बनाम गंगाप्रभ

न्यायालय

संख्या

114/09

प.1.

विशेष विवरण

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
22/5/18		<p>श्रीकलाख यह फर्दवाली न्याय बोर्ड के हार केस को ही गान लोकावाडा में पेश हुई। प्रार्थी स्पेश उपो प्रार्थी को सुना गया तथा फर्दवाली को अवलोकन किया गया। फर्दवाली वर्ष 2011 से वर्ष 2017 हेतु लाम्बित पक्षी का री के सुल काद घोषणा उरुली इजाजत व स्थाई निषेधाज्ञा का ही प्रकल में दिनांक 28/7/09 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी उक्त अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को सुल काद के निस्तारण तक उभय पक्षों के पारबंद कावे हेतु कन्फर्म किया जाना न्यायोचित उचित होता है। अतः इस न्यायालय द्वारा अभी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 28/7/09 को वा फर्दवाली सुल काद उभय पक्षों के पारबंद कावे हेतु कन्फर्म की जाती है फर्दवाली फर्द सुमा हेतु फर्दनिष्ठा से कम है तथा सुल काद के हाव रहे।</p>	<p>श्रीकलाख</p>

सहायक कलक्टर
चौमू (जयपुर)

